राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ27(44)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/विविध/2017–18 जयपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के साथ अन्य योजनाओं से देय लाभ/मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आवासों को माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करने एवं वर्ष 2017–18 के लक्ष्यानुसार समस्त स्वीकृतियां माह सितम्बर, 2017 तक जारी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

योजनान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा से 90 अकुशल मानव दिवस अनुमत है एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण कराया जाना है। उक्तानुसार देय अनुदान/परिलाभ के साथ साथ अन्य योजनाओं यथा उज्जवला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से विद्युत कनेक्शन, एन.आर. डब्ल्यू पी के तहत पेयजल सुविधा, स्वच्छ पेयजल, एवं महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत पात्र परिवार को व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत/सुविधाए उपलब्ध कराई जा सकती है।

योजनान्तर्गत पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से नियमानुसार पट्टे वितरण की सुनिश्चिता के कम में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जावे। इसी कम में विभागीय पत्र कमांक एफ 27 (44) दिनांक 16.06.2017 द्वारा कलस्टर में स्वीकृत आवासों हेतु मूलभूत सुविधाओं यथा एप्रोच सड़क, नाली, बायो फैंसिंग आदि लाभों की सुनिश्चिता किये जाने बाबत् जारी निर्देशों के कम में नागौर जिले द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यो का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संलग्न है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के साथ अन्य योजनाओं से देय लाभ/सहायता/मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

20/9/17

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
5. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू.) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

D:\PO sir\PO Leeter.docx